2012:CGHC:10195-DB

दाण्डिक अपील क्रमांक 2005/1996

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति।

दाण्डिक अपील क्रमांक 2005/1996

छोटू @ चुटकू

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य
(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ।

हस्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

हस्ता/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 27/09/2012 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

2012:CGHC:10195-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति।

दाण्डिक अपील क्रमांक 2005/1996

अपीलार्थी:

छोटू @ चुटकू, पिता सोनू कलार, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर सुपेला, शिव मंदिर के पास, जिला दुर्ग (म.प्र.) (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़), द्वारा थाना दुर्ग, जिला दुर्ग।

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपील)

उपस्थिति:

श्रीमती किरण जैन, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री जे.ए. लोहानी, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

निर्णय

(27.09.2012)

न्यायालय की ओर से निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया:

(1) अपीलार्थी- छोटू @ चुटकू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है और लगभग 9 माह की बालिका के साथ बलात्कार कारित करने के लिए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है।

(2) तथ्य, संक्षिप्त में, निम्नानुसार हैं:-

गौरी बाई एक भिखारिन थी। पीड़िता- ज्योति उसकी पुत्री थी। ज्योति लगभग 9 माह की थी। गौरी बाई अपनी पुत्री के साथ महेत्तर (अभि.सा.-2) के घर में निवास कर रही थी। दिनांक 14.06.1994 को दोपहर लगभग 3-3:30 बजे, गौरी बाई ने अपनी पुत्री को अपनी पड़ोसन सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) के घर के सामने बच्चों के बीच छोड़ दिया और पानी लेने चली गई। अपीलार्थी, जो कि एक पड़ोसी भी था, वहाँ आया और उसकी पुत्री (पीड़िता- कु. ज्योति) को अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात जब पीड़िता को महेत्तर (अभि.सा.-2) के घर में छोड़ा गया, तब गौरी बाई ने देखा कि ज्योति की योनि से रक्तस्राव हो रहा था। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे योनि पर चोटें मिलीं। वह पुलिस थाने गई और रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट- प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई। पीड़िता ज्योति को मांग-पत्र प्रदर्श पी-3 के माध्यम से शासकीय अस्पताल, दुर्ग में चिकित्सीय परीक्षण के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भेजा गया। चिकित्सकों ने उसकी योनि से अत्यधिक रक्तस्राव देखा। चूँकि दुर्ग में कोई एनेस्थेटिस्ट (निश्चेतक) उपलब्ध नहीं था और परीक्षण एनेस्थीसिया (निश्चेतना) देने के बाद किया जाना आवश्यक था, उसे चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अंततः पीड़िता का परीक्षण डॉ. टी. नागरिया (अभि.सा.-7) द्वारा किया गया, जिन्होंने पीड़िता के शरीर पर निम्नलिखित लक्षण पाए:-

1. जननांगों के अतिरिक्त शरीर पर कहीं भी बाहरी चोट का कोई निशान नहीं देखा गया।

2. जननांगों का परीक्षण सामान्य निश्चेतना (जनरल एनेस्थीसिया) के अंतर्गत किया गया।

3. लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस और जांघों के मध्य भाग पर बाहरी चोट का कोई निशान नहीं देखा गया।यद्यपि, निम्नलिखित चोटें देखी गईं:-

i. योनि के दाहिनी ओर 0.5 सेमी लंबा, सतही, लाल रंग का पैरायूरेथ्रल टियर (मूत्रमार्ग के पास विदर)।

ii. योनि के बाईं ओर 1 सेमी लंबा, सतही, लाल रंग का पैरायूरेथ्रल टियर।

iii. योनि के मध्य भाग में उपस्थित 0.5 **x** 0.25 सेमी का पेरिनियल टियर (मूलाधार विदर), जो लाल रंग का था।

iv. हाइमन टियर (योनिच्छद विदर) मध्य में 6 बजे की स्थिति में उपस्थित था।

v. योनि की पिछली दीवार लगभग 0.25 सेमी लंबी फटी हुई थी, चोट रेखीय, सतही और लाल रंग की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

योनि स्वाब से दो स्लाइडें तैयार की गईं और संबंधित पुलिस अधिकारी को सौंप दी गईं। घटनास्थल से एक प्लास्टिक की बोरी जब्त की गई। अपीलार्थी के अंतःवस्त्र भी जब्त की गई। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.), रायपुर भेजा गया, जहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के अनुसार, अपीलार्थी के अंतःवस्त्र पर मानव शुक्राणु पाए गए।यद्यपि, स्लाइडों या प्लास्टिक की बोरी पर रक्त के धब्बे और मानव शुक्राणु नहीं पाए गए। सुहेगा (अभि.सा.-1) ने अपने परीक्षण के दौरान न्यायालय को सूचित किया कि पीड़िता ज्योति की घटना के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात उसकी माँ गौरी बाई विक्षिप्त हो गई और उसने गाँव छोड़ दिया। अतः, गौरी बाई का परीक्षण नहीं कराया जा सका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सुहेगा (अभि.सा.-1), महेत्तर (अभि.सा.-2) और कचरा बाई (अभि.सा.-3) के परिसाक्ष्यों पर भरोसा किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी पीड़िता को अपने साथ ले गया था और उसके विरुद्ध लैंगिक संभोग कारित किया था, अतः, वह उपरोक्त दंड के लिए उत्तरदायी था।

(3) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन ने तर्क दिया है कि इस घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था, और अभियोजन पक्ष द्वारा

प्रस्तुत परिस्थितियाँ अपीलार्थी को उक्त अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, अतः दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए।

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के पश्चात, हमने सत्र प्रकरण के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि गौरी बाई एक भिखारिन थी। वह अपनी पुत्री ज्योति के साथ उनके मोहल्ले में आई थी। उसने महेत्तर (अभि.सा.-2) के घर में रहना शुरू किया। ज्योति की आयु लगभग 9 माह थी। उस घटना वाले दिन, गौरी बाई ने ज्योति को अपने घर के सामने के प्रांगण में छोड़ा और पानी लेने चली गई। वह अपने घर की दीवार की मरम्मत कर रही थी। उसी समय अपीलार्थी वहाँ आया। वह नशे की स्थिति में था। अपीलार्थी ने ज्योति को अपनी गोद में लिया और उस स्थान से चला गया। उसने सोचा कि अपीलार्थी उसे सामान्य रूप से खेलने के लिए ले जा रहा है। कुछ समय पश्चात, वहाँ खेल रहे बच्चों ने सूचना दी कि ज्योति के शरीर से रक्त निकल रहा है। उस समय ज्योति महेत्तर (अभि.सा.-2) के घर में थी। उसने देखा कि उसकी योनि से रक्त निकल रहा

था। वह उसे अपने घर ले गई और योनि को धोया। उस समय तक ज्योति की माँ गौरी बाई भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अपीलार्थी- छोटू उस समय तक भाग चुका था। तत्पश्चात, गौरी बाई रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाने गई। उसने भी गौरी बाई का साथ दिया। पुलिस थाने से, उन्हें दुर्ग अस्पताल भेजा गया। वहाँ उपस्थित चिकित्सकों ने उसे देखा और डी.के. अस्पताल, रायपुर के लिए रेफर कर दिया। फिर, उसे डी.के. अस्पताल, रायपुर ले जाया गया। बाद में, अपीलार्थी को पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के कुछ दिनों बाद ज्योति की मृत्यु हो गई थी और ज्योति की मृत्यु के 15 दिनों बाद, गौरी बाई विक्षिप्त हो गई और उसने इलाका छोड़ दिया। अब उन्हें गौरी बाई के ठौर-ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) महेत्तर (अभि.सा.-2) ने सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) के साक्ष्य की संपुष्टि की। वह गौरी बाई का भूस्वामी था। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि उसे घटना के बारे में उसके पिता सुनहार द्वारा सूचित किया गया था। वह अपने घर से बाहर आया और देखा कि कु. ज्योति की योनि से रक्त रिस रहा था। उसे यह भी बताया गया था कि अपीलार्थी छोटू ज्योति को अपने साथ ले गया था। वह अपीलार्थी के पास गया और कु. ज्योति के साथ बलात्कार के बारे में पूछा, किंतु अपीलार्थी नशे की हालत में था, अतः वह उत्तर नहीं दे सका।

(8) कचरा बाई (अभि.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उस घटना वाले दिन जब सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) अपने घर की दीवार की मरम्मत कर रही थी, गौरी बाई की पुत्री, जिसकी आयु लगभग 9 माह थी, घर से निकलकर उस स्थान पर आई। वहाँ खेल रहे बच्चे चिल्लाने लगे कि उसके शरीर से रक्त निकल रहा है। सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) उसकी ओर दौड़ी और उसे अपनी गोद में ले लिया और देखा कि उसकी योनि से रक्त निकल रहा था और वहां कुछ चोटें थीं। गौरी बाई भी वहां आ गई। तत्पश्चात, वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई। रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी क्योंकि कु. ज्योति की योनि में चोट देखने के ठीक पूर्व, अपीलार्थी पीड़िता को उस स्थान से, अर्थात् सुहेगा बाई के सामने के प्रांगण से ले गया था, जिसकी वह चक्षुदर्शी साक्षी थी। उन्होंने अपीलार्थी की धोती पर रक्त के धब्बे भी देखे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) उपरोक्त साक्षियों की बचाव पक्ष द्वारा लंबी प्रतिपरीक्षा की गई, लेकिन बचाव पक्ष उनके साक्ष्य में ऐसी कोई परिस्थिति निकालने में सफल नहीं रहा, जिसके आधार पर या तो उनके परिसाक्ष्यों को अस्वीकार किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसा रहे थे।

(10) उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन पर, हम पाते हैं कि लगभग 3:30 बजे दोपहर में गौरी बाई ज्योति (पीड़िता) को सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) के घर के सामने के प्रांगण में लेकर आई और उसे अन्य बच्चों के साथ छोड़कर पानी लेने

चली गई। सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) ने तब देखा कि अपीलार्थी वहाँ आया और ज्योति (पीड़िता) को अपने साथ ले गया, और बहुत कम समय के बाद ज्योति को महेत्तर के घर में छोड़ दिया गया और उसने उसकी योनि से अत्यधिक रक्तस्राव देखा, जिसमें उसे विभिन्न चोटें मिलीं। हमने यह ध्यान दिया है कि घटना दिनांक 14.06.94 को दोपहर लगभग 3-3:30 बजे हुई थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) उसी दिन तत्काल शाम 4:30 बजे दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त सभी विवरण अंतर्विष्ट हैं। इसमें अपीलार्थी का नाम भी शामिल है। तत्पश्चात पीड़िता को दुर्ग के स्थानीय अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया जहाँ उसका परीक्षण कुछ चिकित्सकों द्वारा किया गया, जिन्होंने उसे तत्काल डी.के. अस्पताल रायपुर रेफ़र कर दिया क्योंकि उसका परीक्षण सामान्य निश्चेतना के अंतर्गत किया जाना था, जिसकी सुविधा उस समय दुर्ग अस्पताल में उपलब्ध नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) डॉ. टी. नागरिया (अभि.सा.-7) ने उपरोक्त चोटों को सिद्ध किया है और अभिमत दिया है कि पाई गई चोटें कठोर और खुरदरी वस्तु से कारित हुई थीं और वे लैंगिक संभोग करने या लैंगिक संभोग करने के प्रयास के दौरान भी कारित हो सकती थीं।

(12) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और वे निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और इस प्रकार स्थापित परिस्थितियों का स्पष्टीकरण संभव नहीं होना चाहिए, तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए।

(13) वर्तमान प्रकरण में, हम पाते हैं कि यह स्थापित हो गया था कि कु. ज्योति, जो लगभग 9 माह की बालिका थी, के साथ बलात संभोग किया गया था। अपीलार्थी बालिका को तब अपने साथ ले गया था जब वह खेल रही थी और जब उसे बहुत कम समय के अंतराल के बाद वापस लाया गया, तो वह उपरोक्त चोटों से ग्रस्त पाई गई। जब महेत्तर (अभि.सा.-2) द्वारा उसे पकड़ा गया और पूछा गया तो अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। अपीलार्थी द्वारा बालिका को ले जाने और उसे घायल अवस्था में पाए जाने के बीच का समय अंतराल बहुत कम है और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में आने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। हमारा यह मत है कि प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान सत्र न्यायाधीश अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराने में पूर्णतः न्यायसंगत थे। वर्तमान प्रकरण में गंभीर परिस्थितियाँ यह हैं कि पीड़िता बालिका की आयु लगभग 9 माह थी; सुहेगा बाई (अभि.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार घटना के कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गई; उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी माँ विक्षिप्त हो गई; और उसने इलाका छोड़ दिया तथा उसके ठौर-ठिकाने का पता नहीं है। हमारा यह मत है कि एक कड़ा दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक था और विद्वान सत्र न्यायाधीश प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में अपीलार्थी को आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट करने में पूर्णतः न्यायसंगत थे।

(14) अतः, अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतदद्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधिपति

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश